# विकास विकल्प पत्रिका

निजी प्रसार हेतु

पैक्स समाचार अंक 5 क्रमांक 9 मई 2005

## उत्तर प्रदेश विशेषांक

## विकास विकल्प


**संपादकीय** 2

- स्थिति में सुधार पर और प्रयास...

**प्रमुख लेख** 3—5

- उत्तर प्रदेश में जीविकापार्जन ..
- स्वायत पंचायती शासन ...

**अंचल से** 6—11

- सहारिया लोगों के लिए ...
- रंग लाया किया गया प्रयास
- ग्राम स्वराज की पहली सीटी—पीवैक
- उत्तर प्रदेश की पंचायतीराज ...
- दलित महिलाओं की जागरूकता
- पंचायती राज में महिला नेतृत्व

**डी. ए. समाचार** 14— 15

**आपकी राय** 16



इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में प्रस्तुत विचार लेखकों के हैं और यह जरूरी नहीं कि विकास विकल्प उनसे सहमत हो। स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एंव संपादक डॉ. अशोक खोसला द्वारा डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के लिए।

वरिष्ठ संपादकः किरण शर्मा
संपादकीय बोर्डः नलिनी पॉल
सलाहकार संपादकः विशाल पुरी

111/9-Z, किशनगढ़, वसंतकुंज, नई दिल्ली – 110070 से प्रकाशित तथा ग्रोवर इन्टरप्राईजेस, 9891757682 से मुद्रित।

टेलीफोन : 91+11+26890380, 26134103
फैक्स : 91+11+26130817
ईमेल : pacsindia@devalt.org
वेबसाइट : http://www.empowerpoor.org
http://www.devalt.org


<u>संपादकीय</u>

## स्थिति मे सुधार पर और प्रयास आवश्यक

उत्तर प्रदेश के 19 ज़िलों में पैक्स कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, यह कार्यक्रम उन ज़िलों में रह रही गरीब जनता के जीवकोपार्जन और उन्हें उनके अधिकार दिलाने की प्रक्रिया में वांछित वर्गों के लिए मंच और दिशा देने में कितने सक्षम हो पाते है, इसका उत्तर तो आने वाला समय बतायेगा। पर इतना अवश्य हुआ है कि ये कार्यक्रम विकास की दिशा में लोगों के चलने के लिए और उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए समुदायों के साथ कदम से कदम मिलकार और सहभागी दृष्टिकोण के परिपेक्ष्य में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं।

उत्तर प्रदेश हमारे लिए महत्व रहता है क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है, समस्या काफी गहन और गरीबी से प्रदेश का एक बहुत बढ़ा हिस्सा प्रभावित है। इसके साथ ही यहां लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और बदहाल कर दिया है।

पैक्स कार्यक्रमों की शुरूआत के बाद आ रहे सकात्मक बदलाव निश्चित रूप से सभी को उर्जा देने वाले और प्रेरणाप्रद है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब जनता को अपने विकास का रास्ता दिखाई देने लगा है, तभी तो महिलाओं के धरने प्रदर्शन, हाशिये पर स्थित सममुदायों द्वारा अपने विकास के लिए उठाई जा रही आवाजों और अन्य ग्रामीणों द्वारा अपने जीविकोपार्जन के लिए किए जा रहे वैकल्पिक और संघर्षशील प्रयासो की खबरे हमें सुनने और पढने को मिल रही हैं।

प्रदेश में विकास की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है, जिसकी हमें आशा थी। अब पंचायतों ने अपने अधिकार और अपना कार्य समझना और करना प्रारम्भ कर दिया है। पर इन्हें और जागरूक और क्रियाशील होने की अवश्यकता है और साथ ही पंचायत सदस्यों और प्रधानों को एक प्रभावी प्रशिक्षण से भी गुजरना आवश्यक है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार दिलाने की दिशा में अभी और प्रयास करने है।

जागरूकता जैसे—जैसे बढ़गी, ग्रामीण परिवेश में पुरूष वर्चस्व की भावना भी धीरे—धीरे खत्म होगी। कहीं – कहीं से इसके सकात्मक उदाहरण भी दिखाई पड़ने लगे हैं। विकास और उसके ढांचे को लेकर प्रदेश में कई प्रश्न है। और हाशिये के समुदायों को उनके अधिकार और जीविकोपार्जन से संबंधित भी कई सवाल है, पैक्स कार्यक्रम इन समुदायों के साथ मिलकर इन समस्याओं और इन सवालों का हल ढूढ़ने के लिए वचनबद्ध है।

किरण शर्मा

"This document is an output from a project funded by the Department for International Development, UK, for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of Department for International Development, United Kingdom".

# उत्तर प्रदेश में जीविकापार्जन और पैक्स प्रोग्राम की भूमिका

पैक्स प्रोग्राम में इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया की गरीबी के मुद्दे को, पुरे समाज, राज्य और समाज के सभी तत्वों में एक व्यापक मुद्दा बनाया जाए और संभावित हल ढुंढ़ने की दिशा में क्रियान्वयन में एक जुट होकर कार्य किया जाए। गांवों के जीविकापार्जन के लिए सबसे कारगार तरीका जो उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों ने अपनायाऐं वो है एक विशिष्ट सहभागी दृष्टिकोण और समानता का भाव। उत्तर प्रदेश में ये जागरूकता बढ़ी है कि गरीबी की समस्या को सीधे तौर लिया जाना चाहिए।

सी.एस.ओ. ने उत्तर प्रदेश में निम्न रूप रेखा बना कर गरीबी की समस्या को कम करने का प्रयास किया:

### जागरूकता बढ़ाना

गरीबों को उसके अधिकार दिलाने की दिशा में पहला कदम, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। ये कई तरह से किया गया जैसे जागरूकता अभियानों द्वारा, रैलियों द्वारा, सम्मेलनों के माध्यम से अथवा समिति की बैठकों इत्यादि गातिविधियों द्वारा। ये गतिविधियां न सिर्फ लोगों में जागरूकाता बढ़ाती है बल्कि उन्हें एक दूसरे से नैतिक आदान–प्रदान के लिए एक मंच भी मुहैया कराती हैं।

### विभिन्न सूचना केन्द्रों का निर्माण

विभिन्न सूचना केन्द्रों का निर्माण जिनसे सरकारी योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकें, एक विशिष्ट शैली के रूप में नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा प्रयोग किया गया। यह शैली उन सी. एस. ओ. ने भी अपनाई जो क्षेत्रीय स्वशासन सरकार के लिए कार्य कर रहे थे।

गांव के स्तर पर इन सूचना केन्द्रों के बनने और पैक्स कार्यक्रमों के समान्तर क्रियांवयन के चलते गांव की सूचनाये, नई योजनायें सभी गांव वालों तक पहुंचेगी और इससे ग्राम प्रधान पर भी दबाव बना रहेगा। इससे कई सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी और अन्य सरकारी नीतियों की समझ भी गांव वालों में बढ़ेगी, जिससे हरेक जीवोपार्जन सम्बन्धित प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा मिलती रहेगा। इसके साथ ही इन केन्द्रों के खुलने के बाद जागरूकता बढ़ने से गांव के सभी वर्गों खासकार हाशिये के समुदायों को भी मुख्य धारा में आकार अपनी बात कहने और किसी समस्या पर अपना मत रखने का मौका मिलेगा।

समुदाय को सशक्त करने कि दिशा में दो तरह की प्रभावी शैली के अनुरूप समुदायिक परिक्षण दिया गया। एक तो उनका प्रशिक्षित किया गया जो क्षेत्रीय सी. एस. ओ. के प्रोजेक्ट के स्टाफ है या वे कार्यकर्ता है अथवा स्वयं सेवक है या फिर वे ग्राम पंचायत के सदस्य है और स्वयं सहायता समूह के सदस्य। इन सबको कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन और विभिन्न समस्याओं के निपटारे के संबंधित प्रशिक्षिण दिया गया। जिससे जहां एक और विकास कार्यों में दूगनी तेजी आई वहीं अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली। स्वं–रोजगार संबंधित प्रशिक्षिण और क्रियांवयन गतिविधियों ने इन्हें आर्थिक लाभ दिया और इनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ।

### इनके शसक्त होने से निम्न प्रभाव सामने आए:

- ग्राम सभा बैठकों में बढ़ोतरी हुई
- उप पंचायत (स्वास्थ्य, शिक्षा) की बैठके भी सक्रिय हो गई
- विद्यालयों में दोपहर के भोजन सुचारू रूप से मिलना शुरू हुआ, मिट्टी का तेल सही दाम पर

उपलब्ध होने लगा और आंगनवाड़ी केन्द्रों के क्रियांवयन में भी सक्रियता आ गई।

- महिलाओं की सहभागिता बड़ी पंचायत की बैठकों में इनकी बातों को गंभीरता से लिया जाने लगा।
- कई बीमा नीतियों और अन्य नीतियों एवं सुविधाओं का लोगों ने उपयोग करना शुरू किया जैसे अन्नपूर्णा, अन्तरोदय कार्ड, विधवा पेंशन इत्यादि।

## दबाव समूहों का निर्माण

उत्तर प्रदेश में कई दवाब समूह गरीबों के स्वं–अधिकारों की दिशा में कार्य कर रहे है एवं बड़ी संख्या में महिलाओं के समूह बने हैं, जो महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पर्याप्त मंच प्रदान कर रहे है। जो सब जगह एक समान – दवाब समूह के रूप में एक वर्ग उभरा है वे हैं महिलाओं के स्वं सहायता समूह। इन समूहों के द्वारा की जा रही रोजगार उन्मुख गतिविधियों और आर्थिक स्वतंत्रता संबंधित कार्यों के द्वारा लोगों में अपने अधिकारों के प्रति और जागरूकता आई है। क्योंकि इनके द्वारा किए गए कार्य समान रूप से दिखाई दे रहे है। लगभग सभी सी.एस.ओ. स्वं सहायता समूह के निर्माण और उनमे सशक्त करने में अपनी अहम् भूमिका निभा रहे है मार्च 2005 तक पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2079 स्वं सहायता समूह बनाए जा चुके थे जिनमें 21000 सदस्य शामिल किए गए थे। जिनमें 85 प्रतिशत महिलाए और 58 प्रतिशत हाशिए पर स्थित समूदायों के सदस्य है।

## सामाजिक क्रिया–कलाप

उत्तर प्रदेश मे हो रही कई सामाजिक प्रतिक्रियों और मांगे, अन्य सामाजिक बदलाव का पैक्स कार्यक्रम अपनी सहभागी एवं सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है। इन घटनाओं और रैलियों की वजह से ही सी.एस.ओ. को सामुदायिक स्तर पर पहचान मिली और लोग उन्हें अपना महत्वपूर्ण सहभागी मानने लगे।

**कुछ सामाजिक मागों और अभियानो का उदाहरण इस प्रकार है:**

- एक वांछित समुदाय में पट्टा की गयी जमीन दिलवाने के लिए बुन्देलखण्ड जिले में बुन्देलखण्ड सेवा समिति अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक सतत् अभियान चलाया। इस का परिणाम सकारात्मक रहा और प्रभावित समुदाय के ज्यादातर लोगों को उनकी भूमि मिली।
- महराजगंज में मुशहर समुदाय के लगभग 1000 लोगों ने जिनमें एक बड़ी संख्या में महिलाएं थी ने अपने अधिकारों के लिए ज़िलाधिकारी के बंगले पर धरना प्रदर्शन किया।
- महाराज गंज जिले में मिलाओं ने उस प्रधान के खिलाफ अभियान छेड़ा और आवाज़ उठाई जो सरकारी पैसों का दुरूप्रयोग कर राजमार्ग को अवरूद्ध करने की कोशिश कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रधान को निरस्त कर दिया गया। हालांकि उसने राजनैतिक दांव–पेच के चलते अपने को बचा लिया पर गडबड़ी करने से उसमें डर व्याप्त हो गया।
- बांदा जिलें के नारायणी ब्लाक में परागीलाल विद्या धाम समिति और गांव के लोगों ने मिलकर जिले और ब्लाक के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जिसमें बरसात के दिनों में तीन गावों के रास्तों में बरसात का पानी भर जाता था। इस संबंध में सरकारी तालमटोल का जमकर विरोध किया गया और वहीं के क्षेत्रीय मीड़िया ने जब इनके मजिस्ट्रेट के सामने धरने प्रदर्शन को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया तो ज़िला अधिकारी ने लगभग 20 लाख रूपये उस पुल के निर्माण के लिए आबंटित किए जिससे तीन गांव प्रभावित थे।

जीविकावार्जन एवं विस्तृत आयाम के साथ पैक्स कार्यक्रम ने कई सकारात्मक दृष्टिकोण दिये है जो गांवों के अधिकार और आर्थिक समता के लिए कार्य कर रहा है। इनमें उन सभी आयामों पर जोर दिया जा रहा है जो किसी समाज के सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे महिलाओं के स्वं सहायता समूह द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना। इन सभी का समाज के प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पर अभी कार्य करने की गति ओर जोर पकड़ेगी और परिस्थितियों के साथ परिवेश में और वांछित और सकारात्मक बदलाव आना बाकी है।

# स्वायत्त पंचायती शासनः एक मरीचिका



संशोधित पंचायती राज अधिनियम को उत्तर प्रदेश में पारित हुये पूरा एक दशक हो चुके हैं। पर जिन उद्देश्यों और परिणामों की आशा के साथ इस को काम करने और क्रियांवयन करने कि बात की गयी थी वे अभी भी दूर दिखाई पड़ते हैं।। ग्राम पंचायते अभी एक समग्र सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया से बहुत दूर हैं। अभी भी इनके द्वारा दलितों और महिलाओं को सशक्त करने का कार्य उस तरह नहीं हो पा रहा जैसी आशा की गई थी। लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई पर एक अच्छा शासन अभी भी एक मरीचिका जैसा ही प्रतीत होता है।

**यदि इसके कारणों की चर्चा की जाए तो ये बातें सामने आती है:**

- राज्य सरकार में राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी
- क्षेत्रीय संस्थाओं पर अविश्वास
- क्षेत्रीय सस्थाओं की अयोग्यता

इस का मुख्य कारण ये है कि अभी भी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधान को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा–पूरा बोध नहीं है, न ही उनमें बेहतर करने की क्षमता है। राज्य सरकार यह समझने में काफी देर लगा रही है कि इन क्षेत्रीय पंचायते सदस्यों और प्रधानों को व्यापक और प्रभावी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि इसके बुरे प्रभाव या ये कहें कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रभाव दिखाई पड़ने लगे है 2005 में हुए पंचायत चुनावों में आधे से ज्यादा लोग दोबारा प्रधान बने हैं और अपने पहले के अधूरे कार्यों को इस बार पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी पंचायतों में ..... जाति विशेष का प्रभाव दिखाई पड़ ही जाता है और सरकारी संगठनों और अन्य क्षेत्रीय कार्यलायों में भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ विकास प्रक्रिया में मुख्य बाधा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि प्रधान किसी दलित समुदाय से है, तो ग्राम सभा के सदस्य और अन्य अधिकारियों का उसके प्रति रवैया निराशाजनक और मायूस करने वाला है। नयी पंचायत व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी बात महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने और उन्हें सशक्त करने में थी, पर वास्तविकता के धरातल पर यदि देखें तो उन्हें अभी काफी दूरी तय करनी हैं। पंचायत सैक्रेटरी का सरकार के द्वारा अन्तिम इकाई के रूप में पंचायत में स्थापित किया जाना भी, पंचायतों कि गातिविधियों को प्रभावित करता है, क्योंकि वह स्वयं को प्रधान से ज्यादा शक्तिशाली मानता है, और अधिकारों के मामले मे भी वो ज्यादा स्वतंत्रता महसूस करता है।

सबसे बड़ी एक बात जो गम्भीर है वो है ग्राम सभा मीटिंग का समय से न होना। ग्राम सभा सदस्य ग्राम सभा कि बैठकों को लेकर बड़ा नीरस और बेरूखी भरा नजारिया रखते हैं और ये मान बैठें है कि इन बैठकों का गांव के विकास से कोई ताल्लुक नहीं। इन बैठकों का बस नाम मात्र के लिए होना पंचायती राज की पूरी प्रक्रिया और विचार को गलत दिशा देती है।

अब कुछ आवश्यक और जरूरी कदम लिये जाने के बाद ही पंचायतों की कार्य प्रणाली को सुधारने की बात सोची जा सकती है। उनमें सबसे पहले तो उन्हें इतना सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपना कार्य स्वतंत्रता और सुचारू रूप से कार्य कर सकें। पंचायत के सदस्यों और मुखियां को एक समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजारा जाए। अंतिम और आवश्यक रूप से इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाय कि ग्राम संभा कि मीटिंग को सुचारू और आवश्यक रूप से हाने के लिए प्रशासनिक महकमे और अन्य सरकारी संगठनों के साथ ही साथ ग्राम सभा के सदस्य अपनी सक्रिय और सहभागिता के साथ सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें। शायद तभी पंचायते अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें।

**संदीप माझी (उत्तर प्रदेश)**

# सहारिया लोगों के लिए आशा की किरण

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में रहने वाले सहारिया समुदाय के लोग भारत के सर्वाधिक गरीब और शोषित लोगों में से हैं।

जून 2003 में एक पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक समाज संगठन, बुंदेलखण्ड सेवा संस्थान (बी. एस. एस.), ने ललितपुर ज़िले (उ. प्र.) के मदवारा ब्लॉक में 2000 गरीब, अधिकतर सहारिया, परिवारों का एक सर्वेक्षण किया जिससे पता चला कि:

- हालांकि 80 प्रतिशत परिवारों के पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस पर इतनी फसल कर सकते हैं जो साल भर उनके लिए पर्याप्त हो। तीन चौथाई जमीन चट्टानों से भरी है। इस पर बारिश के भरोसे केवल एक फसल संभव है। यह उपज एक परिवार के लिए करीब तीन–चार महीनों तक ही चल सकती है। साल के बाकी समय परिवार के सदस्य, बच्चे और बुजुर्ग भी, बड़े किसानों के यहां मजदूरी करते हैं या फिर काम की तलाश में बाहर चले जाते है।

- करीब 10 प्रतिशत परिवारों को साल भर केवल एक समय का ही खाना नसीब होता है।
- करीब 90 प्रतिशत परिवार साल में केवल एक बार ही कपड़े खरीद सकते हैं।
- करीब 70 प्रतिशत परिवार कच्चे घरों में रहते हैं।
- करीब 90 प्रतिशत परिवारों को गरीबों की हितकारी किसी भी सरकारी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- सर्वेक्षित जनता में से 1 प्रतिशत से भी कम लोगों ने माध्यमिक स्कूल के आगे शिक्षा प्राप्त की है।
- बड़े किसानों के लिए काम करने वाले सहारिया लोगों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा मिलता है। साल के कुछ महीनें तो उन्हें तेंदू पत्ते और बेल का फल एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार के वन निगम की ओर से दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। लेकिन यह भी अति अल्पमात्रा में होती है। फुटकर बाजार में सूखा बेल 60 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है लेकिन निगम सूखे बेल के लिए मात्र 4 रूपये प्रति किलो देता है।

कई सहारिया महिलाओं को लकड़ी बीनने के लिए असुरक्षित जंगल क्षेत्रों में जाना पड़ता है और फिर उसे बेचने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता है। वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी उन्हें बेवजह सताते हैं, रिश्वत मांगते हैं और जेल में बंद करने की धमकी भी देते हैं।

कई भूमिहीन सहारिया लोगों को जमीन वितरण कार्यक्रमों के अंतर्गत जमीन के प्लॉट आबंटित किए गए हैं। लेकिन या तो जमीन बंजर और चट्टानों से भरी है या फिर उसका सीमांकन और हस्तांतरण नहीं किया गया है। इस तरह जमीन का नाममात्र स्वामित्व होना तो भूमिहीन होने से भी बेहतर होता है। कई मामलों में अधिकार सम्पन्न प्रभावशाली लोग सहारिया लोगों के नाम की जमीन गिरवी रख कर खुद ऋण ले लेते हैं। फिर जब वे पैसा वापस नहीं करते हैं तो खुद तो बच जाते हैं लेकिन गरीब सहारिया लोगों को सताया जाता है।

जिस वर्ष समुचित बारिश नहीं होती है उस वर्ष में बड़े छोटे सभी किसानों की आमदनी पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आमतौर पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है सन् 2001 में मदवारा ब्लॉक के सकरा गांव में भुखमरी से हुई मौत की रिर्पोट राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहीं।

जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो सहारिया लोग एक जंगली घास का बीज मसल कर उसकी रोटी बनाते हैं, इस के सहारे वे भूख मिटाते हैं।

ये खबरें तभी सामने आई जब बी. एस. एस. और एसके संगठन, अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान (ए.बी.

एस.एस.एस) ने दिसंबर 2003 और फरवरी 2004 में मदवारा ब्लॉक के भीतरी इलाकों में संचार माध्यमों के लिए दौरे आयोजित करवाए। इसके बाद तो क्षेत्रीय अखबारों में सहारिया लोगों की खबरें मुख्य पृष्ठ पर आने लगीं।

उस समय के ज़िलाधिकारी, उमेश कुमार मित्तल और सहयोगी तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने कुछ गांवों का दौरा करने का फैसला किया। बी.एस.एस. ने जनसुनवाई आयोजित की। बदवर गांव की एक महिला, श्रीमती श्रीलरानी, ने घास बीज के आटे की बनी रोटियां ज़िलाधिकारी को दिखाई। वह बताती हैं, 'पहले तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हम घास बीज की रोटी खाते हैं। लेकिन जब उन्होंने हमारे घर के अंदर आ कर घास बीज के बोरे देखे तभी उन्हें विश्वास हुआ।'

ज़िलाधिकारी ने तुरंत अंत्योदय राशन कार्ड बांटन का आदेश दिया। इससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हर महीने 2 रूपये प्रति किलों के हिसाब से 20 किलो गेंहू और 3 रूपये प्रति किलों के हिसाब से 10 किलों चावल खरीद सकते हैं।

बी.एस.एस. ने ज़मीन आबंटन के भी कई मामलों में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया। इनकी कोशिशों से मदवारा ब्लॉक के 200 सहारिया और अन्य गरीब परिवारों को अपनी जमीन पर कब्जा मिल सका। कुछ परिवारों की जीवन स्थिति पर इससे काफी फर्क पड़ा है। बढ़वर की श्रीमती माला भुरे कहती हैं, ' हमारे मकान पर महुआ के कई पेड़ हैं। ज़मीन पर कब्जा मिल जाने से अब हम उसके फूल बेच कर साल में करीब 2000 रूपये कमा लेते हैं।' सोलदाह गांव के भूतपूर्व प्रधान, 'श्री खुखलाल, कहते हैं, हम अन्न उपजाते है जिसके सहारे करीब दो–तीन महीनों तक हमारा गुजारा हो तोा है।

### जरूरतमंद लोगों की संख्या में वृद्धि

बड़े परिवार होने के कई कारण हैं। बाल विवाह आम बात है। लोगों को गर्भनिरोधक तरीकों की जानकारी नहीं है। परिवार में कमाने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं को 10–15 बार प्रसव की कठिनाई से गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। फिर भी परिवार में आठ बच्चे होना आम बात है।

श्रीमती श्रीलरानी कहती हैं, 'पहले हम केवल घास के बीज की बनी रोटियां खाते थे। अब हम घास के बीज के साथ बराबर मात्रा में आटा मिलाते हैं।'

बी.एस.एस और एकता परिषद जैसे नागरिक समाज संगठनों की कोशिशों के कारण कुछ सहारिया लोगों को अपने लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है। बी.एस.एस. ने मदवारा ब्लॉक में स्वैच्छिक प्रयासों द्वारा एक तालाब निर्माण का कार्य शुरू करवाया है और दो चेकडैम के निर्माण हेतु स्वीकृति पाई है। अब पहली बाद चंद सहारिया परिवार साल भर फ़सल उपजा सकेंगे।

**– बुंदेलखण्ड सेवा संस्थान (बी.एस.एस)**

## रंग लाया किया गया प्रयास

श्री जगदेव वर्मा पिछले पंचायत चुनाव में अपने गांव के प्रधान के पद पर निर्वाचित हुए। अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति के बीच बसे इस गांव में सुविधा के नाम पर केवल पक्की सड़क से गांव का जुड़ाव भर था। लेकिन अन्य किसी भी सुविधा के मामले में गांव जीरो था। वर्मा जी भी सरकारी उपेक्षा का दंश बराबर झेल रहे थे। तभी अप्रैल 2003 में जनप्रिय सेवा संस्थान के प्रशिक्षण शिविर में प्रधान जी बगैर आमंत्रण के ही पहुंच गये। दिल में कुछ अलग करने का जज्बा होने के कारण प्रशिक्षण में जमकर सक्रिय भागीदारी की और बाद में संस्थान के कार्यकर्ताओं से बराबर सम्पर्क में रहे।

कुछ समय पश्चात वे संस्थान द्वारा संचालित पंचायत सूचना केन्द्र पहुंचे। वहां के अध्यक्ष से उन्हें समग्र गांव के विषय में जानकारी मिली। विस्तृत जानकारी हेतु उन्होंने संस्थान के कार्यकर्ताओं से भी सम्पर्क किया। तब उन्हें लगा कि यदि उसरी को समग्र गांव का दर्जा दिला दिया जाय तो वर्षों से उपेक्षित इस गांव की किस्मत संवर सकती है। इसी विचार को ध्यान में रखकर उन्होंने अधिकारी से लेकर नेताओं तक दौड़–धूप शुरू कर दी। अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त साईकिल पर प्रधान जी ने तो कठोर जाड़े की परवाह की और न ही चिपचिपाती गर्मी की।

अंत में सफलता उनके हाथ आई। आज उसरी समग्र गांव हो चुका है एवं उसका हर स्तर पर विकास तेजी से हो रहा है एंव यह अपनी एक आदर्श छवि बनाने के प्रयास में है।

**– जनप्रिय सेवा संस्थान, प्रतापगढ़**

# ग्राम स्वराज की पहली सीढ़ी – पीवैक

## "प्री इलैक्शन वोटर अवेरनेस कैम्पेन"

यह सर्वविदित है कि देश की 3/4 आबादी आज भी गांव में निवास करती है। इसी आबादी को प्रजातंत्र की सोच से जोड़ने व सत्ता के विकेन्द्रीयकरण हेतु 73 वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन (1992) के लागू होने के पश्चात् देश के लोकतांत्रिक ढांचे में स्थानीय स्वशासन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस संशोधन के द्वारा तृणमल स्तर पर रहने वाले लोगों को हर पांच वर्ष पर अपना नेता चुने का मौका तो प्राप्त हुआ ही, ग्राम पंचायत के विकास की योजना बनाने में भी उनके योगदान/सुझाव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

कोई भी गांव तभी विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है जब गांव का नेतृत्व सबल, जिम्मेदार, प्रभावी व जवाबदेह हाथों में हो। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायत चुनाव जो पंचायत सशक्तीकरण की प्रथम सीढ़ी है उसमें प्रभावी व सही नेता (प्रधान/प्रतिनिधि) का चुनाव हो। इसके लिए चुनाव प्रक्रियाओं का स्वच्छ व पारदर्शी होना अति महत्वपूर्ण है। आज प्रजातंत्र की नींव को चुनावों के माध्यम से सुदृढ़ करने की दिशा में सरकारी तंत्र तथा कई स्वैच्छिक संस्थायें सक्रिय हैं।

इस क्रम में सन् 2000 के चुनावों के दौरान अपने द्वारा किये गये प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए सहभागी शिक्षण केन्द्र ने अभी से जून 2005 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव हेतु अभियान चलाने हेतु रणनीति बनाई है। पंचायत अभियान एक गैर राजनैतिक प्रयास है जिसके द्वारा:

- ग्राम स्तर पर स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
- अपने मत का सही व उचित उपयोग करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाएगा।
- बेहतर नेतृत्व को पंचायतों में आने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
- दलित व महिलाओं की अधिकतम् भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।
- मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना नामांकन के सही तरीके, मतदान का उचित उपयोग हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।

उपरोक्त सोच को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु ही सहाभागी शिक्षण केन्द्र ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिल कर अभियान को सुचारू रूप से क्रियांवित करने के लिए रणनीति भी तैयार की है।

### रणनीति

पीवैक की रणनीति के अन्तर्गत पंचायतों के तीनों स्तरों के सभी सहभागियों को पंचायत चुनाव के प्रति संवेदित करने की बात की गई है। अभियान को सुचारू व क्रमबद्ध रूप से चलाने के उद्देश्य से पीवैक को पांच मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है।

### प्रथम चरण

**वातावरण निर्माण चरण:** इस चरण में पंचायत चुनाव हेतु वातावरण निर्माण का कार्य किया गया है। जिसके अन्तर्गत राज्य, क्षेत्र व ज़िला स्तर पर सरकार व नागर समाज संगठनों का ध्यान पंचायत चुनाव की ओर आकर्षित करते हुए संयुक्त कार्यनीति पर चर्चा की गई। इस चरण में राज्य व ज़िला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ज़िला पंचायत तथा अन्य घटकों के साथ चर्चायें व बैठकें भी आयोजित की गई।

**द्वितीय चरण** में नेटवर्क के गठन पर बल दिया गया जो राज्य, क्षेत्र, ज़िला व ब्लॉक स्तर पर विभिन्न हितभागियों के मध्य बनाये गये। प्रथम चरण में चर्चाओं के दौरान चिन्हित सक्रिय लोगों को नेटवर्क में रखा गया।

अभियान के **तृतीय चरण** में शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, जिसके अन्तर्गत बने हुए नेटवर्क, सहजकर्ता तथा नागरिक नेताओं को पीवैक को वृहद रूप व चुनाव को बेहतर स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिये गये।

**चतुर्थ चरण** में सूचना का प्रचार–प्रसार वृहद् स्तर पर किया गया। अभियान के **पंचम् चरण** में चुनाव प्रक्रियाओं के अनुश्रवण पर जोर होगा जिससे अभियान की मूल सोच को धरातल पर उतारा जा सके। इसी चरण में राज्य प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन से पूर्व योग्य उम्मीदवारों (महिला/दलित) को प्रोत्साहन दिया जायेगा। नामांकन के समय प्रत्याशियों को नामांकन प्रपत्र

भरने में सहयोग, उनके साथ अनौपचारिक बातें व उनका उत्सावर्धन किया जायेगा। नामांकन के उपरान्त मतदाताओं को सक्रिय करना, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार आदि किया जाएगा।

इस अभियान के महत्वूपर्ण तत्वों को यदि देखें तो इसमें राज्य व ज़िला स्तर पर संचालन व सलाहकार समिति के गठन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के साथ पंचायत चुनाव संबंधित विभिन्न मुद्दों की पैरवी पर जोर है। प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण तथा बड़े स्तर पर वितरण को पंचायत अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। राज्य, ज़िला व क्षेत्र हर स्तर पर नेटवर्किंग पर बल दिया जाएगा।

### विस्तार

इस बार के पंचायत चुनावों को लक्ष्य मानते हुए सहभागी शिक्षण केन्द्र उ. प्र. के कुल 46 ज़िलों में 270 सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से पंचायत मतदाता जागरूकता अभियान क्रियांवत कर रही है। इस संस्थाओं के माध्यम से सहभागी शिक्षण केन्द्र कुल 10,000 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु कटिबद्ध है। इस अभियान को व्यापक रूप प्रदान करने हेतु सहभागी शिक्षण केन्द्र द्वारा राज्य तथा ज़िला स्तर पर नेटवर्किगं की गई है जिसके अंतर्गत पंचायातों पर कार्य करने वाली विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को नेटवर्क से जोड़ा गया है जैसे उपवन, ए.बी. एस. राही, जीवन संगिनी आदि। अभियान के विस्तार को बढ़ाने हेतु अन्य घटक जैसे कासा, नेहरू युवा केन्द्र, ऐक्शन एंड हंगर परियोजना आदि का सहयोग भी लिया गया है।

इसी के साथ विभिन्न हितभागियों को प्रभावित करने हेतु राज्य स्तर के सरकारी विभागों (जैसेः पंजायतीराज व चुनाव आयोग) मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ संबंध स्थापित किए गये हैं जिससे उन्हें पंचायत चुनाव के मुद्दे पर संवेदित किया जा सके।

### प्रकाशन

गांव–गांव तक जागरूकता की लहर फैलाने हेतु व जन सक्रियता हेतु राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रकाशन किए गए है। 2 चरणों में पीवैक संबंधित 10 प्रकार के पोस्टर व 10 प्रकार के हैण्डबिल का निर्माण व वितरण किया गया है। पोस्टर व हैण्डबिल मुख्यतः महिला/दलित भागीदारी, डमी प्रतिनिधि व चुनाव की जानकारी पर आधारित है। इसी के साथ पंचायत मतदाता जागरूकता अभियान पर ब्रोशर का निर्माण भी किया गया है। जिससे सहजकर्ताओं व अन्य हितभागियों को अभियान की संक्षिप्त जानकारी दी जा सके। इसी के साथ राज्य चुनाव आयोग के सहयोग से पंचायत चुनाव की किताब व वोटर लिस्ट पर पोस्टर का प्रकाशन भी किया गया है। इन प्रकाशनों को सहभागी शिक्षण केन्द्र द्वारा पीवैक से जुड़ी हुई संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर वितरित किया गया।

### गतिविधियां

गतिविधियां किसी भी कार्यक्रम के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण हैं जिस प्रकार जीवन के लिए सांस। पंचायत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं जो अभियान को सही दिशा देने में सहायक ही नहीं बल्कि सक्षम है। अभियान में गतिविधियां राज्य, जिला, क्षेत्र व ग्राम स्तरों पर निर्धारित की गई हैं।

### राज्य स्तर की गतिविधियां

- राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन
- अभियान पर सहजकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सलाहकार तथा क्रियान्वयन समिति का गठन व बैठकों का आयोजन
- सूचना प्रचार–प्रसार सामग्री (पोस्टर, पैम्लेटस , ब्रोशर) का निर्माण
- मीडिया, एकेडमिया, राज्य प्रशासन के साथ लगाातार चुनाव के मुद्दे पर बैठकों संबंध निर्माण अन्य राज्य स्तरीय नेटवर्क व संस्थाओं के साथ नेटवर्किगं रेडियो कार्यक्रम/ऑड़ियो कैसेट वितरण

### जिला स्तर की गतिविधयां

- जिला स्तर पर संचालन समिति का गठन
- क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन
- जिला स्तर पर विभिन्न नागर समाज संगठनों के साथ नेटवर्किंग व इस मुद्दे पर चर्चा व बैठक

### पंचायत स्तर की गतिविधियां

- पोस्टर , पैम्फलेट, हैण्डबिल वितरण
- पंचायतों के सक्रिय लोगों, चयनित प्रतिनिधियों के साथ लगाातार बैठकें
- विडियो शो
- नुक्कड़ नाटक
- वाद–विवाद प्रतियोगिता व निबन्ध प्रतियोगिता
- रैली, स्थानीय लोकगीत, सूचना शिविर
- कठपुतली शो आदि

इन सभी गतिविधियों के साथ ही अभियान को सफल रूप प्रदान करने के उद्देश्य से समय –समय पर सलाहकर समिति के सुझावों के अनुसार कार्यो में गुणात्मक परिवर्तन किये जाते रहे है। इसी के साथ अभियान के मूल उद्देश्य यानी "मतदाता जागरूकता" को ध्यान में रखते हुए ही रणनीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अंत में यही विश्वास है कि "मतदाता जागरूकता अभियान" एक दिन ग्राम स्वराज को (गांधी जी की कल्पना) को धरातल पर उतारने में सफल रहेगा।

**– संचिता एवं योगेश कुमार**
**सहभागी शिक्षण केन्द्र , लखनऊ**

# उत्तर प्रदेश की पंचायतीराज व्यवस्था: स्वयं सेवी संस्थाओं का दृष्टिकोण

पंचायतों की भूमिका और उनका अस्तित्व हमारे देश में सदियों से रहा हैं । पचायतें वैदिक काल से ही गांव, क्षेत्र के सामाजिक व राजनैतिक कार्यभार संभालने वाला तंत्र रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के संविधान रचयिताओं में देश के गणतांत्रिक ढांचे को लेकर काफी बातचीत हुई। यह तय हुआ कि देश की विकासशील प्रक्रिया और वांधित समूह की सहभागिता "ग्राम स्वराज्य" की विचार धारा द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। यह विचार धारा गांधी जी ने दी। गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि पंचायतों के माध्यम से ही हर ग्रामीण व उपेक्षित वर्ग की सहभागिता को लोकतंत्र में सुनिश्चित किया जा सकता है। गांधी जी ने पंचायती राज को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला के रूप में देखा।

कालातर में निरर्थक व बेजान होती जा रही पंचायतीराज व्यवस्था की सोच का 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक रूप देकर पुर्नजीवित करने का प्रयास हुआ। संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को अभिशासन की सबसे छोटी इकाई का रूप दिया गया, जिसके माध्यम से उन्हें नियोजन में सहभगिता करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। इस परिपेक्ष्य में देखा जाये तो 73वां संविधान संशोधन भारत देश की लोकतांत्रिक इतिहास की में मील के पत्थर के सामन है।

## लोकतंत्र की पहली पाठशाला

पंचायती राज लोकतंत्र का आधार है, इसलिए इसे हम लोकतंत्र की पहली पाठशाला कह सकते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लोग व प्रतिनिधि साथ–साथ रहते हैं। लोगों के दुख–दर्द, समस्याओं को जनप्रतिनिधि जानते हैं। व समझ सकते हैं। इसी तरह लोग भी अपनी समस्याओं के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से सहजता से सम्पर्क कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्थान विशेष की समस्याओं की बेहतर समझ व उनका निराकरण संभव हो जाता है। जबकि इस व्यवस्था के पूर्व में विधायक व सांसद जैसे प्रतिनिधियों से आम लोगों का मिलना संभव नहीं था। इस कारण स्थान विशेष की समस्याओं के निराकरण पर ध्यान कम रहता था।

पंचायती राज व्यवस्था में लोगों का महत्व है योजनाओं के नियोजन से लेकर क्रियान्वयन तक में लोगों की सहभागिता होती हैं। लोकतंत्र की परिभाषा जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है इसी व्यवस्था में परिभाषित होती हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि पंचायतें लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं व उसका सबसे बड़ा आधार है।

## स्थानीय निकाय में सीधी सहभागिता

पंचायतीराज संस्थाओं में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता देकर आम जनता की सीधी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। जहां आम लोग अपनी आवश्यकताओं व समस्याओं के ग्राम सभा बैठक में रखते हैं। अपने विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अपने बीच से पात्र व्यक्तियों का चयन कर ग्राम पंचायातों को आगे की योजनाओं हेतु आधार प्रदान करते हैं। साथ ही, योजना के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## नये नेतृत्व को प्रोत्साहन

हमारे समाज में पंचायतों का अस्तित्व किसी न किसी रूप में पुरातन काल से ही रहा है। लेकिन इन पंचायतों में हमेशा से ही प्रभावशाली वर्गों का ही कब्जा रहा है। नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में महिला एंव वंचित वर्गों की निश्चित भागीदारी देकर उसके नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ऐसा वर्ग हमेशा से ही हाशिये पर रहा है। विकास में उनकी सहमति विचार, नजरिये को नकारा गया है, पंचायतों में उनकी राजनैतिक भागीदारी उनके एवं वर्गों के हित व नजरिये से विकास को प्रभावित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

## नीचे से ऊपर की योजना

आजादी के बाद से जनता के विकास एंव गरीबी निवारण की जो भी योजनायें चलीं उससे लोग नहीं जुड़

पायें। इसका प्रमुख कारण था कि यह योजनायें लोगों की आवश्यकता, स्थान विशेष की परिस्थितियों एंव लोगों की मनः स्थिति समझें बगैर लागू की गई। लोग इन योजनाओं से अपने को जोड़ नहीं सकें। इन योजनाओं का केन्द्रीय तत्व हमेशा से लोगों को आर्थिक व भौतिक संसाधनों को बांटना रहा है। इस कारण सरकार व लोगों के बीच देने व लेने वाले का रिश्ता कायम हुआ। सरकार देने वाली व लोग लेने वाले हो गये। इस कारण लोग इस योजनाओं से आत्मनिर्भर बनने के बजाये पराश्रित हो गये और लाभार्थी की श्रेणी में आ गये।

नई पंचायतीराज व्यवस्था में योजनाओं को स्थान विशेष की आवश्यकताओं, लोगों के विचार, सहमति, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित है। आम आदमी को इन योजनाओं के नियोजन, क्रियांवयन में सहयोग करने का पर्याप्त अवसर मौजूद है।

इस प्रकार स्थानीय स्तर पर योजनाओं में लोगों की सहभागिता का ध्यान सभी स्तरों पर रखा गया है। यह लोक केन्द्रित योजनायें स्थानीय स्तर पर नियोजित या सुपरिचित होती हैं। साथ ही, ज़िले, राज्य व केन्द्र की योजनाओं का आधार बनती हैं।

## जवाबदेह अभिशासन व्यवस्था

नई पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह हैं। यानी गांव के प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों को जानने का अधिकार है कि पंचायतें लोगों के हित में किस प्रकार कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायतों का दायित्व है कि गांव के लोगों की आवश्यकता के अनुसार कार्य करें।

उक्त प्राविधान जहां लोगों को सूचना का अधिकार दिलाता है वहीं पंचायतों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाता है। पंचायतों द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है उन्हें उसकी अनुमोदन गांव की जनता यानी ग्राम सभा से लेना होता है। गांव की जागरूक जनता ग्राम पंचायतों में प्रत्येक कार्यों के सही – गलत का निर्णय कर सकती है। यह प्रक्रिया जहां सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को बढ़ावा देती है। वही स्थानीय स्तर पर बेहतर अभिशासन जवाबदेही एंव पारदर्शिता के लिए आधार प्रदान करती हैं।

## महिलायें विकास के केन्द्र में

पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका व सहभागिता विकास की प्रक्रिया में सुनिश्चित हुई। लोक केन्द्रित विकास में महिलाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु महिलाओं को हर स्तर 33 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त हुआ।

पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से महिला नेतृत्व को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप महिला सशक्तीकरण को बल मिला। महिलाओं को ना केवल राजनीति में प्रवेश के अवसर प्राप्त हुए, बल्कि नियोजन व अन्य प्रक्रियाओं में ग्राम सभा के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को आवाज मिली। महिलायें जो हमेशा से विकास से दूर रही थीं उनकी रणनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हो पाई है यह विकास में जेण्डर मेन्सट्रीमिंग का अद्भुत उदाहरण है।

## समााजिक न्याय के लिए बेहतर अवसर

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं, दलित एंव वंचित वर्गों को राजनैतिक भागीदारी देकर जहां उनके नेतृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है वहीं उन्हें विभिन्न योजनाओं मं भागीदार बना कर उनमें सामाजिक न्याय के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के प्रयास किए गये हैं।

राजनैतिक नेतृत्व प्रदान कर उन्हें अपने वर्गों के हित में कार्य करने व उनके नजरिये से कार्य करने को तरजीह दिया गया है आज ही ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों हेतु 22.5 प्रतिशत धनराशि का सीधे उनके क्षेत्रों के विकास करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त सभी योजनाओं में गरीबी व महिलाओं को विकास का आधार माना गया है। समूह की योजनाओं को प्रोत्साहित कर उनमें सामूहिक रूप से जोखिम लेने की शक्ति का विकास किया जा रहा है। निर्बल आय वर्ग के आवास, प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु आयवृद्धि, निराश्रित व्यक्तियों के हितों व उनकी सामाजिक सहायता एंव सुरक्षा हेतु वृद्धा, विधवा एंव विक्लांग पेंशन की योजनाओं का क्रियांवयन किया जा रहा है। गरीब बच्चीयों की सुरक्षा हेतु बालिका समृद्धि योजना का क्रियांवयन का प्रयास इन पंजायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गरीबों को संगठित करने पंचायतों में उनकी आवाज को बुलंद करने में स्वयं सेवी संगठनों की भी अग्रणी भूमिका रही है। यह सभी कार्य सामाजिक न्याय जैसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

73वें संशोधन के महत्वपूर्ण व बेहतर प्रावधानों के बावजूद आज 10 वर्ष के पश्चात् भी हमारे देश की पंचायतें वे कार्य नहीं कर पर रही है जिसकी परिकल्पना संशोधन में की गई थी। आज भी पंचायते सरकार की क्रियांवयन संस्था के रूप में कार्य कर रही है। ग्राम पंचायतें आज भी विकास

की सोच व गति से गति मिला पाने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति को बेहतर बना कर पंचायतीराज व्यवस्था की परिकल्पना का धरातल पर उतारने में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अपनी भूमिका का निर्वाहन कर यह संगठन पंचायतों को सशक्त व मजबूत बना सकते हैं जिससे सभी पिछड़े समूहों की पंचायतों तथा ग्राम विकास में भागीदारी हो जाये। महिलायें खुल कर अपनी बात रखने में सक्षम हो तथा ग्राम के नियोजन की प्रक्रिया सही प्रकार से चले। स्वैच्छिक संगठनों को पंचायतों को 73वें संशोधन तथा गांधी जी की ग्राम स्वराज की परिकल्पनाओं के अनुरूप बनाने मे निम्न भूमिकायें हो सकती हैं।

**प्रशिक्षण**

ग्राम सभा व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को 73 वें संविधान के बारें में प्रशिक्षित करना एवं उन्हें अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति सजग करना।

**प्रोत्साहन**

प्रतिनिधियों को समय–समय पर नैतिक समर्थन तथा बेहतर कार्य करने हेतु प्रोत्साहन देकर उनका उत्साहवर्द्धन करना।

तकनीकी सहयोगः पंचायतों का कार्य सही तरीके से चलता रहे इस उद्देश्य से उन्हे समय–समय पर प्रशिक्षण, बैठक, कार्यशालाओं तथा अन्य के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

नये प्रयोग, अनुसंधान एंव शोधः समय–समय पर नये प्रयोग कर पंचायत प्रक्रियाओं को सुगम बनाना। अनुसंधान व शोध के माध्यम से ग्राम स्तर पर चल रही प्रक्रिया को जानना अध्ययन करना व उनके निष्कर्ष के अनुरूप कार्यक्रम रणनीति तैयार करना।

दस्तावेजीकरण व प्रचार–प्रसारः सूचना व जानकारी के आभाव के चलते ग्राम स्तर पर लोगों की जागरूकता मे कमी रह जाती है। इस कमी को स्वैच्छिक संस्थायें प्रचार–प्रसार के माध्यम से पूरी कर पंचायत प्रतिनिधियों व ग्राम सभा को जागरूक कर सकती है।

पंचायतों के क्रियाकलापों पर निगरानीः पंचायतो के क्रियाकलापों पर निगरानी कर स्वैच्छिक संस्थायें उन्हें दिशा दे सकती हैं। पंचायतों पर निगरानी करने का अर्थ सकारात्मक लिया जाना चाहिए जिसे पंचायतें सही प्रकार से अपनी गातिविधियों का निष्पादन कर सामूहिक नियोजन के माध्यम से ग्राम विकास को प्राप्त कर सकें।

**अशोक भाई**
**सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ**

# दलित महिलाओं की जागरूकता

कहीं तालाब, तो कहीं टीला, कही बंजर तो कही उपजाऊ भूमि। इन्हीं विषमताओं के बीच बसा है ग्राम सभा उसरी। ज्यादातर आबादी दलित वर्ग की है। जाहिर है कि प्रधान भी इसी वर्ग का होगा। गांव का मुख्य सड़क से सम्पर्क तो हो गया है लेकिन अन्दर विभिन्न पुरवों के मध्य सम्पर्क मार्गो का अभाव है। साथ ही यहां सबसे बड़ी समस्या पानी के निकास की है। सबसे बुरी स्थिति उस पुरवे की थीं जहां सरजू देवी एंव शिवकली रहती है।

प्रधान जी ने तो अपने प्रयास से गांव को समग्र ग्राम घोषित करवा दिया था लेकिन फिर भी इस पुरवे की ओर किसा का ध्यान नहीं जाता था। यह बात ग्राम पंचायत सदस्य शिवकली और सरजू देवी को बहुत कचोटती थी। उन्हें रह–रहकर याद आता था बरसात का मौसम, जब उनके पुरवें की सड़क पर पानी भर जाने से मुख्य मार्ग तक पहुंचने में लम्बा चक्कर लगाना पड़ता था एवं वहां के घरों तक पानी भर जाता था। लेकिन क्या करें अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का जानकारी न होने के कारण वे हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती थी।

लेकिन आज से वर्ष भर पूर्व इन्हें सहारा मिला पैक्स कार्यक्रम का, जिसके द्वारा इन्हें पंचायत संबंधी अनेक बातों का ज्ञान हुआ। ज्ञान बढ़ा तो इन्हें भी लगा कि हमें नियमित बैठकों में जाना चाहिए और समस्या के समाधान हेतु मांग उठानी चाहिए। ऐसा विचार करके इन दलित महिलाओं ने पर्दा एंव बढ़ती उम्र का ख्याल न करते हुए नियमित बैठकों में जाना शुरू किया। बरसात के पहले की बैठक में इन्होंने अपने पुरवे के मुख्य मार्ग पर पुलिया के निर्माण का प्रस्ताव रखा, परन्तु प्रधान द्वारा पर्याप्त धन की अनुपलब्धता दर्शायी गई। इस पर इन दोनों महिलाओं ने कहा कि जबतक स्थायी व्यवस्था न हो जाए तब तक कच्चे मार्ग पर सीमेन्ट के बड़े पाइप (ह्यूम पाइप) डाल दिया जाय एवं बरसात को नजदीक देखते हुए इन लोगों ने इस हेतु उसी मिटिंग में जबरदस्त दबाब डाला। अंत्तोगत्वा पंचायत को उनकी बात माननी पड़ी। ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान ने बरसात से पूर्व ह्यूम पाइप लगवाने का वादा किया और हुआ भी ऐसा ही। बरसात के पहले–पहले पाइप डालकर पानी निकास का मार्ग प्रशस्त किया गया।

इस प्रकार इन दो दलित महिलाओं ने अपने गांव के विकास की नइया को खेना प्रारम्भ कर दिया।

**– जनप्रिय सेवा संस्थान, प्रतापगढ़**

# पंचायती राज मे महिला नेतृत्व

पंचायत को सशक्त करने की बड़ी जरूरत महसुस करने पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। जिसमें सता के विकेन्द्रीकरण की बाद की गई और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने पर जोर दिया गया। इस ऐतिहासिक 73वें संविधान के सशोधन के बाद पंचायतों को सरकार की सबसे छोटी ईकाई बनाया गया। संसोधन के बाद महिलाओं को भी नेतृत्व का अधिकार दिया गया।

नेतृत्व किसी भी समाज में आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक तंत्र में अहम भूमिका अदा करता है। ये नेता ही होते है जिनसे जनता की अभिलाषायें और आशायें पूरी होती हे। प्रत्येक नेता की यह पहली प्राथमिकता है कि वो लोगों के भलें के लिए कार्य करें समान्यतः यह कहते है कि जो नेतृत्व करता है, वह नेता है। पर ग्रामीण परिपेक्ष्य में नेतृत्व को परिभाषित करना कठिन है। ग्रामीण नेता वो है जो पंचायतों में किसी राजनैतिक पद के लिए चुने जाते है। इस तरह पुरूष या महिला जो भी ग्राम सभा प्रमुख ज़िला पंचायत सदस्य प्रधान के लिए चुने जाते हैं वे ग्रामीण क्षेत्रीय प्रशासन के दृष्टीकोण से काफी महत्वपूर्ण है वे इसके लिए है कि ग्रामीण जरूरतों को पुरा किया जा सकें और वहां कि विकास की जरूरतों को बढ़ावा मिल सकें। पंचायती राज की प्रभावी क्रिया विधि इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राम सभा में किस तरह का नेतृत्व मौजूद है।

महिलाए कई सारे दायित्वों में बांध दी गई है जिनमे पारिवारिक जिम्मेदारियां और अन्य दायित्व शामिल है। इतने समय तक हाशियें पर रहने के बाद महिलाएं अब सामने आ रही है और निर्णय लेने की प्रक्रिया मे शामिल हो रही हैं। 73वां संविधान संशोधन इनमें अहम् भूमिका निभाएगा। महिलाओं के किए गए आरक्षण से एक सुदृढ़ स्थिति का निर्माण हुआ है। यह स्थिति महिलाओं के विकास और आगे के भविष्य में प्राथमिक भूमिका निभाएगी।

## उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

भारत में आर्थिक समाजिक अथवा राजनैतिक किसी भी दृष्टि से महिलाओं को समानता नहीं हासिल है। जबकि भारतीय संविधान महिला और पुरुष समानता की बात करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं का मानव संस्थान के विकास में अमूल्य योगदान है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मे उनकी महत्वपूर्ण सहभागिता है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन में यह बात की गयी जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि पंचायती राज इकाई की एक तिहाई सीटों पर अब महिलाओं का आरक्षण होगा। हालांकि महिलाओं अभी भी राजनैतिकि क्षेत्र में बांधी हुई हैं पर फिर भी इस संशोधन से पुरूष वर्सस्व में कमी जरूर आई है जो दिखाई पड़ती है।

## जनसंख्या

उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात, बुरी तरह से महिलाओं के विरूद्ध है जहां 1000 पुरूष पर मात्र 898 महिलाए हैं। गिरता हुआ महिला लिंग अनुपात प्रदेश में महिलाओं की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।

## शिक्षा

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शैक्षिक दशा दयनीय है। ज्यादातर महिलाएं जो ग्राम पंचायतों में विभिन्न पदों पर चुनी गयी हैं, वे अनपढ़ है और बाकी जिन्हें साक्षर माना जाता है वो बस अपना नाम लिख पाती है उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गयी है उनमें शिक्षा का अनुपात इस प्रकार है:

| ग्राम पंचायत | |
|---|---|
| अनपढ़ | 40 प्रतिशत |
| साक्षर | 10 प्रतिशत |
| कक्षा 1 से 10वीं तक | 40 प्रतिशत |
| कक्षा 10वीं से 12वीं तक | 10 प्रतिशत |
| उच्च शिक्षा | 0 |

हालांकि यह तथ्य साफ है कि विकास योजनाओं और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उनका योगदान महत्वपूर्ण है

और समय की भी यही मांग है। महिलाओं की शासन में सक्रिय भूमिका को अभी भी रोका जा रहा है पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण उन्हें फिर भी अपना योगदान विकास प्रक्रिया में देने का उन्नमुख कर रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भूमिका कई रूपों में दिखाई देती है कहीं सशक्त महिला नेतृत्व नजर आता है, तो कहीं परतंत्र और सीमित अधिकारों में महिला नेतृत्व करते दिखाई पड़ती है। पर ज्यादातर इलाकों में दूसरा उदाहरण ही दिखाई पड़ता है। अनुमानतः महिलाओं में आ रही जागरूकता, शिक्षा, प्रतियोगी क्षमता, स्वयं पर भरोसा और परिवार और समाज का सकारात्मक योगदान ही प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सुनिश्चित करेगा।

| क्षेत्रीय पंचायत | |
|---|---|
| अनपढ़ | 20 प्रतिशत |
| साक्षर | 20 प्रतिशत |
| कक्षा 1 से 10वीं तक | 45 प्रतिशत |
| कक्षा 10वीं से 12वीं तक | 10 प्रतिशत |
| उच्च शिक्षा | 05 प्रतिशत |

| ज़िला पंचायत | |
|---|---|
| अनपढ़ | 40 प्रतिशत |
| साक्षर | 10 प्रतिशत |
| कक्षा 1 से 10वीं तक | 40 प्रतिशत |
| कक्षा 10वीं से 12वीं तक | 10 प्रतिशत |
| उच्च शिक्षा | 0 |

## रोजगार

जहां तक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का प्रश्न है तो स्थिति काफी निराशा जनक है हालांकि महिलाएं घरेलू जिम्मेदारी और समाज में उनके द्वारा दिए जा रहे आर्थिक, सामाजिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता। फिर भी एक इस महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि महिलाओं की स्वतंत्रता को वो आयाम नहीं मिला जिसकी कोशिश संशोधन में की गयी थी।

## राजनैतिक स्थिति

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति का पता इस बात से लगाया जा सकता है, कि उन्हें कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है उन्हें समानता का कितना अधिकार दिया गया है और वो शासन और निर्णय प्रक्रिया में कितनी सहभागी हो पाती हैं। इतिहास में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरोजनी नायडू (गर्वनर) से लेकर सुचेता कृपलानी और अब मायावती जैसी कई महिला नेताएं मिली । अब महिलाओं का नेतृत्व ग्रामीण उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग में देखने को मिल रहा है। पर दुखद है, कि ये कमान सिर्फ दिखाई दे रही है वस्तुतः ये अपने पति या किसी अन्य अधिकृत पुरूष द्वारा ही संभाली जा रही हैं और उनकी स्थिति वहीं की वही है और उनकी नेतृत्व क्षमता को कम करके आंका जा रहा है।

# ग्रामीण पिता पुत्र की आदर्श उद्यमी जोड़ी

ये पिता पुत्र की आश्चर्यचकित कर देने वाली मेहनती जोड़ी मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िला के न्याय खेरा गांव में रहती है। वे मां गायत्री संघ सेवा समूह के सदस्य है। समूह ने 15000 रूपये का लोन लेकर डेरी चलाने की बात सोची थी और यह डेरी वर्ष 2003 में खुल गयी इससे सदस्यों को काफी फायदा हुआ और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली। इसके बाद जब जैविक खाद की चर्चा गांवों तक पहुंची और महेन्द्र और उसके पुत्र निरापार ने जब इसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में सुना तो उन्होंने उसी समय इस दिशा में काम करने की ठान ली।

उन्होंने डेरी फार्म से मिलने वाली गोबर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर "जैविक खाद" उत्पादित करने की बात सोची। फिर क्या था उन्होंने एक बहुत बड़े टैंक का निर्माण किया और इसके लिए आवश्यक कीटों की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। इस तरह उन्होंने 2–3 क्विंटल खाद उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब इन्होने जाना कि सारे लोग अब "जैविक खाद्य की ओर उन्नमुख हो रहे है तो उन्होंने कई अन्य उद्यमियों से भी संपर्क साधा। ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकें। इस तरह अपने खेतों में उत्पादित चारे को डेरी में इस्तेमाल करके और डेरी के गोबर से जैविक खाद उत्पादित करके उन्होंने बिना रसायनिक खादों के इस्तेमाल के सब्जी की खेती को एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान किया। आज महेन्द्र और निरापार की लगन और मेहनत द्वारा उत्पादित कम्पोस्ट खाद की चर्चा आज पास के गावों में आम है। क्यों न हो क्या इनकी कहानी क्या सफल उद्यमीयों की कहानी नही लगती।

# रति ने रचा एक नया वातावरण

रति अपने पति के साथ कोयना गांव में रहती है और हमने उससे मिलने का निश्चय किया और निकल पड़े। शाम हो रही थी पर सब कुछ ठीक–ठाक था।

छोटी उम्र में ही शादी हो जाने के बाद, रति ने अपने पति के कामों में रोज हाथ बटाते हुए, खेती का काम करना सीखा। रति के दो लड़के और एक लड़की है। एक गृहणी के रूप में रोज मेहनत सशक्त की जिन्दगी और बढ़ती उम्र के बाद भी रति अपने गरीबी के वातावरण में ही जी रहीं है। अभी भी वो खेत में काम करना जारी रखे हुए है। उसका अकेलापन जो उस समय से ही बढ़ गया जग उसने अपने लड़की की शादी दूसरे गांव में कर दी थी। उसके दोनों लड़कों ने भी अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटांना शुरू कर दिया है। उस समय वह घर पर खाना बनाना और साफ–सफाई का काम करती है और कभी कभार फसल की कटाई–छटाई में भी उनकी मदद करती है। यद्यापि यह सब किसी भी ग्रामीण महिला के लिए ज्यादा लगता है पर इसके बाद भी उसके अन्दर एक समाज सेवा की आग से दहकती रहती है।

वर्ष 2003 में रति और उसकी सहेलियों ने मिलकर महावीर स्वयं सहायता समूह बनाने का निश्चय किया जिसकी शर्त यह थी कि सभी सदस्य महीने में 20 रूपये जमा करेंगे और सप्ताह में एक दिन वे सब मिलकर गांव के बारे में कई योजनाओं और गतिविधियों की चर्चा करेंगी। जिससे वे उस एकत्रित राशि को किसी उचित कार्य में लगा सके।

उसी समय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने महावीर सहायता समूह के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रंखला आयोजित की एक चीज जो रति को बहुत ज्यादा उत्साहित कर रही थी वो थी जैविक–खाद का उत्पादन और उपयोग। रति ने मुझे बताया की खाद का महत्व उस खेत के लिए बहुत जरूरी है जिसमें इस साल उसके बच्चे और पति काम कर रहे है। रति ने जब अपनी इस योजना को क्रियांवित करने के लिए गांव वालों से चर्चा करनी प्रारंभ की तो गांव वालों ने उसकी बातों पर तबज्जों यह कहकर नहीं दिया कि, यह काम औरतों का नहीं है। इसके अलावा कई पुरूष प्रभावी अकांक्षाओं और विरोधों के बाद भी रति किसी तरह 5000 रूपये का सी. सी.एल हासिल करने में कामयाब रही।

उसने खुद ही जैविक–खाद का निर्माण किया और अपने काम को आगे बढाने के लिए कीट भी ले आई। अब सेटअप तैयार कर दिया गया था रति को जैविक खाद के विषय में दी जाने वाली एक छोटी से छोटी जानकरी जानने के लिए वह तत्पर रहती ताकि कार्य और तेजी से हो सके

अन्ततः रति के द्वारा तैयार किया गया कम्पोस्ट खाद उसके खेतों में पड़ा और जल्दी ही इसके परिणाम खुद व खुद अपनी महत्ता बताने लगे। इसके बाद अच्छी फसलों के होने से परिवार की आर्थिक दशा कुछ सुधरी और रति 50 रूपये सप्ताह सहायता समूह में देने की स्थिति में पहुंच गयी। धीरे – धीरे रति ने अपने व्यवसाय को आगे बढाया और अब वो अपने परिवार में 1300–1500 रूपये प्रति माह का योगदान दे रही है।

आज रति एक व्यस्त महिला है उसका समय अपने खेत, सहायता समूह और कम्पोस्त खाद के धन्धें में लगता है और इसके अलावा वे ओर लोगों में अपने कला का लाभ और खाद बनाने की सलाह देती रहती है।

# आपकी राय

प्रिय पाठकों,

इस बार हमने उत्तर प्रदेश में चल रही विकास प्रक्रिया और उसकी स्थिति के बारे में चर्चा की। पैक्स कार्यक्रम और साझेदार संगठनों की पहलकदमियों के बारें में भी बताया। प्रदेश में हाशिये के समुदायों द्वारा पैक्स कार्यक्रमों की मदद से अपने जीवकोपार्जन के किये गए उत्साहजनक प्रयासों की भी जानकारी दी।

मुख्य आलेख में हमने उत्तर प्रदेश में, पैक्स कार्यक्रमों का वहां की जनता में उनके जीवकोपार्जन के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा इसकी चर्चा की। और पंचायती राज्य व्यवस्था को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और विकास की दिशा में इसे कैसे संशक्त किया जा सकता इस पर भी बात की।

आपके सुझावों से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपकी राय के आधार पर ही हम अपने अगले अंक की योजना बनाते हैं। आप हमें अपने क्षेत्र की किसी विशिष्ट समस्या अथवा उपलब्धि के बारे में बता सकते हैं। नीचे दिए पते पर अपनी राय देने के साथ साथ पैक्स कार्यक्रम क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, सुसंगत विषयों पर लेख, अपने विचार, कविताएं, तस्वीरें इत्यादी भी ज़रूर भेजें। आपके सहयोग से ही इस पत्रिका को रोचक बनाया जा सकता है।

भवदीया
किरण शर्मा
पैक्स कार्यक्रम समन्वयक

**पैक्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर**
**डेवलेपमेंट ऑल्टरनेटिव्स**
**111/9 - Z, किशनगढ, बसंत कुंज, दिल्ली – 110070**
**ईमेल : pacsindia@devalt.org**
**वेबसाईट (हिंदी में भी उपलब्ध) : www.empowerpoor.org**

प्रबंधन परामर्शदाता
डेवलेपमेंट ऑल्टरनेटिव्स – प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स प्रा॰ लि॰

समर्थक
डी.एफ.आई.डी. DFID